



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट- <http://bspcb.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया द्वारा बालू घाट, ब्लॉक-48, (गया मोहाना: 04/05/06) स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक-सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
29.08.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	मोहनपुर जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत इतवान	गया मोहाना: 04/05/06	अंचल कार्यालय, मोहनपुर, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

सदस्य सचिव